**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**RAJYA SABHA**
**UNSTARRED QUESTION NO. 865**

**TO BE ANSWERED ON THE 14TH DECEMBER, 2022/ AGRAHAYANA 23, 1944 (SAKA)**

**WOMEN IN CENTRAL ARMED POLICE FORCES (CAPFs)**

**865 SHRI SUJEET KUMAR:**
**SHRI NIRANJAN BISHI:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

**(a) whether the percentage of women in Central Armed Police Forces (CAPFs) against the total sanctioned strength is less than 4 per cent;**

**(b) if so, what measures have been taken to boost intake of women candidates;**

**(c) what action has been taken on reports of internal harassment within these CAPFs;**

**(d) whether funding has been allocated for specially targeting recruitment of women; and**

**(e) if so, the details thereof?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS**
**(SHRI NITYANAND RAI)**

**(a) & (b) The existing strength of women personnel in Central Armed Police Forces & Assam Rifles is 34,278 against the sanctioned strength of 10,12,568 i.e. 3.38% of the sanctioned strength. The Steps taken to encourage recruitment of women personnel in CAPFs & AR are at Annexure-I.**

https://www.staffnews.in

**(c) Harassment of women at work place is being dealt very seriously. Cases related to harassment of women at work place are being dealt expeditiously as per norms laid down by the Government. Internal Complaint Committees (ICC) at all levels have been sensitized with regard to expeditious processing of the complaints of women personnel with due emphasis on thorough enquiry and timely submission of their reports and findings as and when such complaints are received. Based on the same, suitable disciplinary and administrative action is immediately initiated, wherever applicable.**

**(d) & (e) Recruitment is an ongoing process for both male and female candidates. Various steps are being taken to encourage recruitment of women personnel in CAPFs and AR as mentioned at Annexure-I.**

******

https://www.staffnews.in

**ANNEXURE-I**

**R.S.US. Q.No.865 for 14.12.2022.**

**Steps taken to encourage the recruitment of Women candidates in CAPFs & ARs**

1. Recruitment is being conducted by making wide publicity through print/electronic media. All female candidates are exempted from payment of application fee.
2. There are relaxations in Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test(PET) for all female candidates for recruitment in CAPFs in comparison to Male candidates.
3. One female member is detailed as member of the board for making recruitment of women personnel.
4. Creches and Day Care Centres have been provided by the CAPFs to women employees.
5. Women personnel are given equal opportunity in their career progression i.e. promotion/seniority as per the RRs at par with male counter parts.

https://www.staffnews.in

**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 865**
**दिनांक 14.12.2022/23 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए**

**केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाएं**

**865. श्री सुजीत कुमार:**
**श्री निरंजन बिशीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कुल संस्वीकृत पदों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत 4 प्रतिशत से भी कम है;**
**(ख) यदि हां, तो महिला अभ्यार्थियों की भर्तियां बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;**
**(ग) इन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में होने वाले आंतरिक उत्पीड़न संबंधी प्रतिवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है;**
**(घ) क्या महिलाओं के प्रति विशेष रूप से लक्षित भर्तियों के लिए कोई निधि आवंटित की गई है; और**
**(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) और (ख): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में महिला कर्मियों की मौजूदा संख्या कुल स्वीकृत संख्या 10,12,568 की तुलना में 34,278 है, यानी स्वीकृत संख्या का 3.38%। सीएपीएफ और एआर में महिला कर्मियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।

(ग): कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तेजी से निपटाया जा रहा है। सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) को महिला कर्मियों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के संबंध में जागरूक बनाया गया है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी पूरी तरह से जांच करना और उनकी रिपोर्ट एवं निष्कर्षों को समय पर प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाना शामिल है। इसके आधार पर, जहां भी लागू हो, उपयुक्त अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाती है।

(घ) और (ङ): पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। सीएपीएफ और एआर में महिला कर्मियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जो कि अनुलग्नक-। पर दिए गए हैं।

*****

https://www.staffnews.in

**राज्य सभा अता. प्र.सं. 865 दिनांक 14.12.2022**
**अनुलग्नक-I**

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में महिला उम्मीदवारों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम:-

1. प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से भर्ती की जा रही है। सभी महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
2. सीएपीएफ में भर्ती हेतु पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में सभी महिला उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) में छूट प्राप्त है।
3. महिला कर्मियों की भर्ती के लिए एक महिला सदस्य को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।
4. सीएपीएफ द्वारा महिला कर्मचारियों को क्रेच और डे केयर सेंटर उपलब्ध कराए गए हैं।
5. महिला कर्मियों को उनके कैरियर की प्रगति में समान अवसर दिया जाता है अर्थात आरआर के अनुसार पुरुष समकक्षों के समान पदोन्नति/वरिष्ठता प्रदान की जाती है।

******

https://www.staffnews.in